न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—30/2025

प्रार्थीगणः:—

1. टीपूदेवी पत्नी ताराराम जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मंजुदेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. सुजाराम पुत्र ताराराम जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. सीता देवी पत्नी मोटाराम जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:—

1. श्यामलाल पुत्र अनन्तराम जाति घांची निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री गणपतसिंह वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांकः— 05-01-2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 111 रकबा 1.3178 हैक्टेयर ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिणी सीमा से लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 125 के किनारे –किनारे मुख्य सडक से जुडता कच्चा रास्ता अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी विप्रार्थी सं. 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयंत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत 111 रकबा 1.3178 हैक्टेयर के दक्षिण सीमा में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 125 में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 111 रकबा 1.3178 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 125 में से 10 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टयर भूमि तहसील सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न बरंग लाल में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के 111 रकबा 1.3178 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 125 में से 10 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टयर मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प आवश्यकता होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 125 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी भूमि में में रास्ते हेतु 125 में से 10 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महिलावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 111 रकबा 1.3178 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 125 में से 10 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टयर भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/2393 दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न [illegible] इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

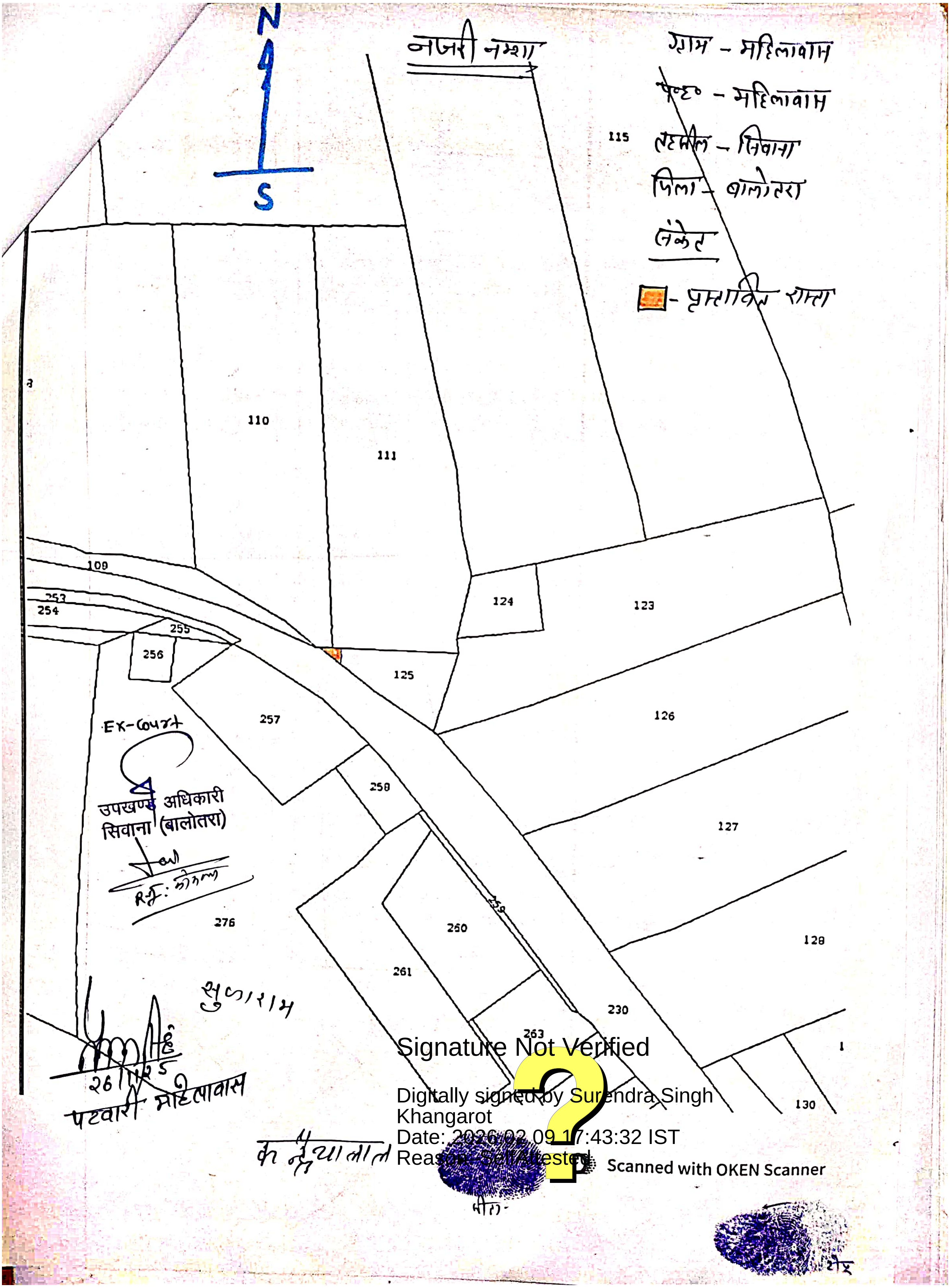

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:32 IST
Reason: Self Attested
Scanned with OKEN Scanner